




कार्यालय, नगर पालिक निगम, इंदौर
स्वच्छ भारत मिशन



क्रमांक ६९..././SBM/20-21

दिनांक ७/१२/२०२०

आदेश

सीवर, सैप्टिक टैंक आदि संरचनाओं में आपात स्थिति में मानव बल/गैर यांत्रिक द्वारा साफ-सफाई के प्रभावी नियंत्रण एवं नियमानुसार प्रबंधन हेतु निकाय के द्वारा साफ सफाई हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई (Emergency Response Sanitation Unit, ERSU) गठित की जाती है :—

क्र.	निकाय का नाम	इकाई के अध्यक्ष	इकाई के सदस्य
1	नगर पालिक निगम, इंदौर	आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर	अपर आयुक्त, जल-मल विभाग न.पा.नि. इंदौर
			कार्यपालन यंत्री, जल-मल विभाग न.पा.नि. इंदौर
			संबंधित झोन के झोनल अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
			संबंधित झोन के स्वास्थ्य अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
			संबंधित झोन के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, न.पा.नि. इंदौर

उपरोक्तानुसार गठित इकाई के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :—

1. इकाई निकाय में स्थित सभी सीवर लाईन एवं सैप्टिक टैंक की साफ सफाई हेतु उपलब्ध अधिनियम/नियम/दिशा निर्देश अनुसार कार्य संपादित करायेंगे।
2. निकाय अपने क्षेत्र के 75 किलो मीटर के दायरे में इकाई की सेवायें प्रदान करेगी।
3. सीवर लाईन एवं सैप्टिक टैंक के अंदर साफ सफाई हेतु किसी भी स्थिति में मानव बल का सीवर लाईन/सैप्टिक टैंक में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। किन्तु व्यापक जनहित हेतु आयुक्त की अनुमति उपरांत विशेष परिस्थिति में ही सीवर लाईन में प्रवेश की अनुमति नियमानुसार शर्तों के पालन उपरांत प्रदान की जाएगी।
4. सीवर एवं सैप्टिक टैंक की साफ सफाई हेतु शहरी एवं आवासन मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श दस्तावेज - CPHEEO Manual, Standard Operating Procedures for Cleaning of Sewer and Septic Tanks released by MoHUA, Preventing of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act (PEMSRA, 2013) एवं समय पर नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
5. भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्तानुसार 4 में उल्लेखित प्रावधानों हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण, अधिकारी/कर्मचारी के प्रशिक्षण एवं सीवर/सैप्टिक टैंक की साफ सफाई के प्रबंधन हेतु अपर आयुक्त जल-मल विभाग, नगर पालिक निगम, इंदौर उत्तरदायी सक्षम प्राधिकारी होंगे।
6. इसके लिए आपातकालीन सेवा टेलीफोन नंबर 14420 अधिकृत टेलीफोन नंबर रहेगा। सीमा क्षेत्र में त्वरित सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी होंगे।

— २ —

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर